

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:नर्सिंग/नर्स-2/भर्ती 2018/ए -95/2019/

दिनांक:

1. अकित कुमार शाह पुत्र श्री काति लाल जैन  
निवासी जिला बासवाडा।  
आईडी संख्या- 3115911
2. हेमन्त त्यागी पुत्र श्री विरेन्द्र त्यागी  
निवासी जिला धौलपुर।  
आईडी संख्या- 3257495
3. रिछपाल सिंह पुत्र श्री गोपाल लाल  
निवासी जिला नागौर।  
आईडी संख्या- 3262129
4. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामेशवर दयाल  
निवासी जिला धौलपुर।  
आईडी संख्या- 3259900
5. खीवराज खीचड पुत्र श्री देवाराम खीचड।  
निवासी जिला नागौर।  
आईडी संख्या- 3263487
6. सुनिता अग्रवाल पुत्री श्री रामवतार गुप्ता  
निवासी सवाई माधोपुर।  
आईडी संख्या- 3241303

विषय नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती 2018 के संदर्भ में माननीय न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 10967/2019 दायर की है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 24.07.2019 को निर्णय पारित कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करते हुये अर्जित अनुभव पर विचार करते हुये माननीय न्यायालय के बिना इजाजत के परिणाम जारी नहीं करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं, के क्रम में आपको नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती-2018 के संदर्भ में दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी कार्यक्रम में आपको दिनांक 29.08.2019 को एमएनआईटी जयपुर में निदेशालय द्वारा दिनांक 17.06.2019 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपस्थित होना निर्धारित किया गया है।

अतः आप दस्तावेज सत्यापन हेतु संबंधित मूल दस्तावेजों के साथ दिनांक 29.08.2019 को प्रातः 11 बजे एमएनआईटी जयपुर में उपस्थित होंगे। शेष नियम व शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक 06.8.19

क्रमांक:नर्सिंग/नर्स-2/भर्ती 2018/ए -95/2019/ 420

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. डॉ. विभूति भूषण शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, नर्सिंग, मुख्यालय एवं केस प्रभारी अधिकारी।
4. श्री सजय राजपाल, समन्वयक, एमएनआईटी, जयपुर को उक्त सबंध में हुई वार्ता के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर